

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1942 (श0) (सं0 पटना 969) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 205 दिनांक 23 दिसम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 201, दिनांक 18 दिसंबर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 962, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करते हैं।

[(सं॰सं॰ बिकी-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 2390)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से.

राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

23 दिसम्बर 2020

एस0ओ0 205 दिनांक 23 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं॰सं॰ बिकी-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 2390)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डाॅ0 प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 23rd December 2020

S.O. 205 dated the 23rd December 2020--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017,the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations on the Council, hereby rescinds the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 201, dated the 18th December, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 962, dated the 18th December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 2390]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 969-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in